'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) ' प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014—— आषाद 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर — 492001

दूरभाष क्र. 0771-4073553, फैक्स 0771-2445857 वेब साइटः www.cserc.gov.in, ई मेलः cserc.sec.cg@nic.in

रायपुर, दिनांक 15/07/2014

क्र. 60 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2014— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 50 और धारा 181 (2)(टी) सहपठित 181(2)(ऐक्स) और धारा 43 (1), 46, 47(1) और 47(4) सहपठित धारा 181 (1), 181 (2)(व्ही) और 181 (2)(डब्लयू) के अधीन "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011" अधिसूचित किया गया था। उक्त प्रदाय संहिता के प्रावधानों को लागू करने में अनुभव की जाने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों और उक्त संहिता के खण्ड 1.6 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर उक्त संहिता में कतिपय संशोधन आवश्यक हो गए थे।

अतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 1.10 के अधीन प्राप्त शक्तियों प्रयोग करते हुये और उक्त संहिता के खण्ड 1.6 के अधीन गठित विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं,

तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों एवं टीकाओं पर विचार करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

- 1. लघु शीर्ष, परिभाषाएं और प्रारंभ:-
 - (i) यह संहिता ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013'' कहलाएंगे।
 - (ii) यह 01 जनवरी, 2014 से प्रभावशील होगी।
 - (iii) उन सभी प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जैसा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 (एतस्मिन पश्चात मूल संहिता के रूप में संदर्भित) में दिया गया है।
- 2. मूल संहिता के खण्ड 3.4 को ''उपभोक्ताओं को प्रदाय का वोल्टेज'' से प्रतिस्थापित किया गया है।
- 3.4 प्रदाय वोल्टेजवार न्युनतम एवं अधिकतम संविदा मांग सामान्यतः निम्नानुसार होगा—

प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	•	३ कि.वाट
400 वोल्ट	3 कि.वॉट से अधिक	100 एच.पी. अथवा ७५ कि.वाट
11 के.व्ही.	६० के.व्ही.ए.	500 के.व्ही. ए.
33 के.व्ही.	६० के.व्ही.ए.	15000 के.व्ही.ए.
132 के.व्ही.	४००० के.व्ही.ए.	40000 के.व्ही.ए.
220 के.व्ही.	15000 के.व्ही.।	150000 ज्ञट।

परन्तु, तकनीकी कारणों से आयोग, उपर्युक्त प्रावधान को अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर शिथिल कर सकेगा। ऐसे उच्चदाब और अतिउच्चदाब उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग उपर्युक्त प्रावधानित अधिकतम सीमा से अधिक है, से आयोग के सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट प्रभार वसूल किए जाएंगे।

3. मूल संहिता के खण्ड 4.41 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है-

उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत के प्रदाय हेतु कोई आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, 05 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता को आवेदित प्रदाय की व्यवहार्यता के परीक्षण हेतु स्थल निरीक्षण की लिखित सूचना देगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। उस दशा में जहाँ अति उच्चदाब पर प्रदाय/अति उच्चदाब वोल्टेज पर संयोजकता हेतु उपकेन्द्र की आवश्यकता हो, आवेदक को संयोजकता के लिए पारेषण कम्पनी को आवेदन की प्रतिलिपि साथ में प्रस्तुत करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयुक्त परीक्षण सम्पन्न कराया जाएगा। और उनके प्रदाय की व्यवहार्यता का परीक्षण, टेक ऑफ बिन्दु का निश्चिय, प्रदायकर्ता की लाईन से आगम बिन्दु, मीटर की स्थिति, मीटर उपकरण और प्रदायकर्ता के अन्य उपकरणों की जाँच की जाएगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति से 30 कार्य दिवस के भीतर संयोजकता की व्यवहार्यता अथवा अन्यथा स्थिति की सूचना दी जाएगी और व्यवहार्यता प्रतिवेदन जारी करने के 60 दिवस के भीतर अनुमान स्वीकृति के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मांग पत्र जारी करेगा और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भेज देगा। वितरण कम्पनी भार की स्वीकृति देगी, और सुरक्षानिधि जमा कराने और अनुबंध के निष्पादन के लिए मांग पत्र जारी करेगी।

तथापि खण्ड 4.58 में विहित विभिन्न गतिविधियों के लिए विहित समयसीमा का संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

मूल संहिता का खण्ड 4.51 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है; निम्नदाब संयोजनों हेतु पंखे और लाईट भार का मूल्यांकनः

(अ) किसी भवन / भवनों के समूल अथवा बहु—उपभोक्ता संकुल के भार—मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाएं जाएंगे:—

(i) आवासीय उपयोग—

- (क) निम्नलिखित के प्रत्येक 250 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल या उसके किसी भाग के लिए
 - (i) नगर निगम 1 किलोवॉट
 - (ii) नगर पालिका 0.75 किलोवॉट

		के लिए—			
		(i)	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	T 0.5 वि	फेलोवॉट
(ii)	गैर अ	ावासीय	उपयोग—		
	(ক)	निम्नि	लेखित के प्रत्येक 200 वर्गफी	ट क्षेत्रफ	न्ल या उसके किसी भाग के लिए
		(i)	नगर निगम	१ कि	न्नो वाट
		(ii)	नगर पालिका	0.75	किलो वाट
		(iii)	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	T 0.50	किलो वाट
	(ख)	शेड/	भंडारगृह / विद्यालय / धर्मशात	ना / भांड	गरगार हेतु निम्नलिखित के 1000
		वर्गफी	ट या उसके किसी भाग के	लिएः -	-1 किलो वाट
(ৰ)	आवार	नीय कॉ	लोनी में किसी आवासीय कॉ	ॉलोनी उ	और गैर–रिहायशी भूखण्डों के भार
मूल्यांव	कन के	लिए नि	म्नांकित मानदण्ड अपनाएं ज	गएंगे—	
(i)	रिहाय	ाशी कॉलोनियों के लिए:			
	(ক)	निम्नि	लेखित के प्रत्येक 300 वर्गर्फ	ोट भूखं	ड क्षेत्रफल और उसके किसी भाग
		के लि	₹:		
		(i)	नगर निगम	_	1 किलो वाट
		(ii)	नगर पालिका	_	0.75 किलो वाट
	(ख)	भूखण्ड	ड के प्रत्येक 500 वर्गफीट अध	थवा उस	कि किसी भाग के लिए—
		(i)	नगर निगम / ग्राम पंचायत		0.50 किलोवॉट
(ii)	गैर अ	ावासीय	भूखण्डों के लिए–		
		भूखण्ड	ड के क्षेत्रफल के प्रत्येक 200	वर्गफीट	ट या उसके किसी भाग के लिए—
		(i)	नगर निगम		1 किलोवॉट
		(ii)	नगर पालिका		0.75 किलोवॉट
		(iii)	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	Γ	0.50 किलोवॉट
			4		

निम्नलिखित के प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल या उसके किसी भाग

(ख)

टिप्पणीः

- (i) भार-मूल्यांकन के उपर्युक्त मानदण्ड वहाँ प्रयोज्य नहीं होंगे जहाँ उपभोक्ता मांग-आधार टैरिफ संयोजन के लिए आवेदन करता हैं।
- (ii) भार का मूल्यांकन आवासीय कॉलोनी / बहु उपभोक्ता संकुल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) लिफ्ट (उद्वाहक), जल-पम्प, सड़क बत्ती आदि सामान्य सुविधाओ का भार विकासकर्ता / निर्माता / सोसाइटी / उपभोक्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार होगा।
- (iv) भार के प्राक्कलण की उपर्युक्त प्रक्रिया, भार के मूल्यांकन में एकरूपता लाने और अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रखी गई है। तथापि, सुरक्षानिधि आदि की गणना उपभोक्ता और एकल उपभोक्ताओं / बहु उपभोक्ता संकुल और आवासीय कॉलोनी के अनुरोध अनुसार वास्तविक भार के आधार पर की जाएगी।
- (v) भार की संगणना के उद्देश्य से आवासीय बहु—उपभोक्ता संकुलों के प्रकरण में एकल उपभोक्ता का निर्मित क्षेत्रफल विचार में लिया जाएगा, जबिक गैर आवासीय बहु—उपभोक्ता संकुलों के प्रकरण में संकुल का सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल विचार में लिया जाएगा। तथापि, आवेदक अपनी आवश्यकता के आधार पर चाहे तो संगणित भार से अधिक हेतु आवेदन कर सकेगा और ऐसे प्रकरणों में मांगे गए भार के लिए अधोसंरचना विकसित करनी होगी।
- मूल संहिता का खण्ड 4.52 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है
 " बहु उपभोक्त संकुल और आवासीय कालोनियों को प्रदाय : विशेष दशाएं:
 - (i) किसी भवन अथवा भवनो का कोई समूह जिसमे सामान्यतः एक या एक से अधिक संयोजन की आवश्यकता होती है और जिसे इस संहिता के खण्ड 4. 51 के अनुसार 50 किलोवाट या उससे ऊपर के कुल भार हेतु मूल्यांकित किया गया है, उसे विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से बहु उपाभाक्ता संकुल माना जायेगा। किसी बहु उपभोक्ता संकुल मे आवासीय, गैर आवासीय और

वाणिज्यिक संकुल, आवासीय कालोनी, कार्यालय संकुल, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान आदि सम्मिलित है।

- (ii) किसी बहु उपभोक्ता संकुल में प्रदाय की व्यवस्था समुचित क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर से की जायेगी जो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर 100 के.व्ही.ए. से कम न होगा। उच्चतर क्षमता के मामले में वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 200 के.व्ही.ए. अथवा 315 के.व्ही.ए. की होनी चाहिए, जिसका उपयोग सामान्यत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है।
- (iii) बाहरी विद्युतीकरण जैसे 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार, कालोनी के भीतर वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र लगाना और निम्न दाब लाइनो / केबलो का बिछाना ऐसे विकासकर्ता / निर्माता / आवासीय सोसायटी / उपभोक्ता समूह / उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। जो अपने व्यय पर संयोजन के लिए आवेदन करते है।
- (iv) यदि आवेदक इन्डोर ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का निर्माण करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा बशर्ते ऐसा ट्रांसफार्मर शुष्क प्रकार का होने के साथ—साथ ऊर्जा की बचत करने वाला हो और प्रचलित नियमो एवं विनियमो का यथावांछित अनुपालन किया जाय। ऐसे प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी की ओवर हेडलाईन को इन्डोर ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज टर्मिनल से जोड़ने हेतु आवश्यक केबल आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

यदि कोई आवेदक उपकेन्द्र या वितरण ट्रांसफार्मर से आगे 11 के.व्ही. और/अथवा निम्नदाब लाईन भूमिगत केबल के माध्यम से कालोनी में लगाना चाहता है तो उसे वैसा करने की अनुमित दी जायेगी बशर्ते भारतीय सुसंगत मानको का अनुपालन किया जाय। आवेदक द्वारा स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर की कोई क्षमता 100 के.व्ही.ए. या 200 के.व्ही.ए. या 315 के.व्ही.ए. होनी चाहिए जिसका उपयोग सामान्यत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है और इसका संपूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

- (v) यदि कालोनी / बहुउपभोक्ता संकुल का भार '
 - क) 1500 किलो वाट से कम है तो आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारों के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभार का भूगतान करेगा। जब तक इन प्रभारों को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500/— प्रति के. डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूतीकरण प्रभार वसूल करेगा। कालोनी क्षेत्र के बाहर 11 के.व्ही.के लाईन को 2 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और 2 कि.मी. से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
 - 1500 के.डब्ल्यू. से अधिक है किन्तु खण्ड 4.51 के अनुसार 5550 के. ख) डब्ल्यू. से अनाधिक निर्धारित की गई है वहां आवेदक 40x30 मीटर से अन्यून पैमाइश की आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगा और 5550 के. डब्ल्यू. से उपर 10000 के.डब्ल्यू. तक के लिए 50x40 मीटर पैमाइश की आवश्यक भूमि रू. 1/- के सांकेतिक प्रीमियम पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर 33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिए उपलबंध करायेगा। उपकेन्द्र के स्थल का निश्चय उस क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा आवेदक के परामर्श से किया जायेगा। आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी क्त. 4500 / - प्रति के.डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूती करण प्रभार वसूल करेगा। 33 के.व्ही.के लाईन को 3 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत, 5550 के.डब्ल्यू. तक और 5550 के.डब्ल्यू. से 10000 के.डब्ल्यू. तक 5 कि.मी. के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और इस सीमा से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (vi) यदि किसी भवन अथवा भवनो के समूह जिसे बहुउपभोक्ता संकुल अथवा हाउसिंग कालोनी की श्रेणी में रखा गया है, अतिरिक्त निर्माण अथवा भार

की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण और जिस बहुउपभोक्ता संकुल/आवासीय कालोनी का कुल भार समस्त फेज सहित (वर्तमान में और प्रस्तावित)'

- क) 1500 के.डब्ल्यू. से कम है, तो मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मर के विस्तार, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर / वर्तमान वितरण ट्रांसफार्मर मे वृद्धी की लागत आवेदक (आवेदको द्वारा वहन की जायेगी)। इसके अलावा आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी रू. 4500 / प्रति के.डब्ल्यू. के दर से अतिरिक्त भार हेतु प्रणाली मजबूतीकरण प्रभार वसूल करेगा।
- 1500 के.डब्ल्यू. से अधिक है किन्तु खण्ड 4.51 के अनुसार 5550 के. ख) डब्ल्यू. से अनधिक निर्धारित की गई है वहां आवेदक 40x30 मीटर से अन्यून पैमाइश की आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगा और 5550 के. डब्ल्यू. से उपर 10000 के.डब्ल्यू. तक के लिए 50x40 मीटर पैमाइश की आवश्यक भूमि रू. 1/- के सांकेतिक प्रीमियम पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर 33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिए उपलबंध करायेगा। उपकेन्द्र के स्थल का निश्चय उस क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा आवेदक के परामर्श से किया जायेगा। आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध और सामान्य प्रभारो के अनुसार प्रणाली मजबूती करण प्रभारो का भूगतान करेगा। जब तक ऐसे प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते, अनुज्ञप्तिधारी क्त. 4500 / - प्रति के.डब्ल्यू. की दर से प्रणाली मजबूती करण प्रभार वसूल करेगा। 33 के.व्ही.के लाईन को 3 कि.मी. तक विस्तारित करने की लागत, 5550 के.डब्ल्यू. तक और 5550 के.डब्ल्यू. से 10000 के.डब्ल्यू. तक 5 कि.मी. के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी और इस सीमा से आगे आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

कालोनी क्षेत्र के भीतर लाईन के विस्तार/वितरण ट्रांसफार्मर/वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धी की लागत संबंधित आवेदक (आवेदको द्वारा) वहन की जायेगी।

- (vii) किसी बहु उपभोक्ता संकुल और आवासीय कालोनी के लिए खण्ड 4.51 के अनुसार यदि निर्धारित भार 10000 के.डब्ल्यू. से अधिक है, तो ऐसे संकुल / कालोनी में विद्युत आपूर्ति की औपचारिकिताएं अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर प्रकरण वार आधार पर निर्धारित की जायेगी।"
- 6. मूल संहिता के खण्ड 4.56 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:—
 "स्टोन क्रशर को छोड़कर 25 हार्सपावर तक लघु/कुटीर उद्योग को प्रदाय —
 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधानः

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 25 हार्सपावर भार तक लघु/कुटीर उद्योगो को आयोग द्वारा विविध और सामान्य प्रभारो में यथा अनुमोदित प्रदाय वहन प्रभारो के भुगतान पर संयोजन उपलबध कराये जाएंगे। जब तक आयोग द्वारा इन प्रभारो का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, अनुज्ञप्तिधारी रु. 2000/— प्रति हार्सपावर की दर से प्रदाय वहन प्रभार वसूल करेगा। यह प्रदाय वहन प्रभार प्रति हार्सपावर आधार पर लघु/कुटीर उद्योग उपभोक्ता द्वारा भूगतान योग्य होंगे भले ही किसी विस्तार की आवश्यकता हो अथवा नहीं। आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नगरीय क्षेत्र में 0.5 कि.मी. और ग्रामीण क्षेत्र में 1 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन/निम्नदाब लाईन भी उपलब्ध करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्र में 0.5 कि.मी. और ग्रामीण क्षेत्र में 1 कि.मी. से अधिक की लाईन की लागत आवेदक (आवेदको) से वसूल की जायेगी।"

7. मूल संहिता का खण्ड 6.4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"सुरक्षा निक्षेप इस संहिता के खण्ड 6.4 के अनुसार मूल्यांकित खपत के आधार पर निश्चित किया जायेगा और विशिष्ट दिनों की अनुमानित खपत के समतुल्य राशि का प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को लागू करते हुए निम्नांकित तालिका में दर्शाए अनुसार होगाः

सं.क्रं.	उपभोक्ता की प्रकृति दिनो	की संख्या
1.	कृषि	
	क. स्थायी	90
	ख. अस्थायी	अस्थायी संयोजन की संपूर्ण
		अवधि के लिए, 90 दिवस की
		अधिकतम सीमा मे रहते हुए
2.	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लान्ट	90
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के वैध	90
	आधिपत्य का प्रमाण उपलब्ध कराने	
	में असमर्थ है	
4.	अन्य उपभोक्ता	60′′

8. मूल संहिता का खण्ड 6.9 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता से ली गई सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान उसकी वार्षिक खपत के आधार पर किया जयेगा। इस पुनरीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि की राशि का निर्धारण संहिता के खण्ड 6.5 में उल्लिखित उस अविध हेतु प्रयोज्य दर (टैरिफ) के अनुसार करेगा। यदि पुनरीक्षण पर, निम्नदाब के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि की राशि में +/- 20 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन (वृद्धि या कमी) होता है और उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में रु. 10,000/— से अधिक का परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक मांग अथवा वापसी की जायेगी।"

9. मूल संहिता का खण्ड 6.10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"परंतु आधिक्य सुरक्षानिधि की वापसी के प्रकरण में उपभोक्ता के लेखे इस राशि को सामायोजन के माध्यम से उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयको में सामायोजन के माध्यम से केंडिट कर दिया जायेगा। यदि ऐसे सामायोजन के पश्चात भी कोई राशि शेष रहती है तो उसकी वापसी उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद कर दी जायेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।"

10. मूल संहिता का खण्ड 6.11 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"6.11 ऐसे प्रकरण में जिन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया है वहां अतिरिक्त सुरक्षानिधि वैसे अतिरिक्त भार के लिये उसी प्रकार संगणित की जायेगी जैसे किसी नये संयोजन हेतु की जाती है। इसी प्रकार यदि संविदा मांग घट जाती है तो अनुज्ञिप्तिधारी सुरक्षानिधि की पुनः गणना करेगा और अतिरिक्त सुरक्षानिधि, यदि कोई हो तो उसे उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयकों में समायोजन के माध्यम से क्रेडिट करेगा। यदि ऐसे समायोजन के बाद कोई राशि बच रहती है तो उसे उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद वापस किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुज्ञिप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।"

11. मूल संहिता का खण्ड 7.2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"7.2 संविदा मांग उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर किये गये अनुबंध के अनुसार और उपभोक्ता के प्रतिस्ठापन की आवश्यकता को देखते हुए होगी और संयोजित भार से स्वतंत्र रहेगी।

अनुज्ञप्तिधारी से नवीन उच्चदाब / अति उच्चदाब संयोजन लेने के लिए कोई आवेदक वांछित संविदा मांग को चरणोबद्ध रूप से भी, निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन ले सकेगा:—

- (i) 02 वर्ष से आगे की किसी अवधि के लिए किसी चरणबद्धता (फेजिंग) की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ii) भार के अंतिम चरण को विमुक्त करने के पश्चात अनुबंध अविध 02 वर्ष की होगी।
- (iii) उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के अधिकतम 03 चरणों का लाभ लिया जा सकता है।
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित प्रदाय अनुबंध के अंतर्गत एक बार स्वीकृत चरणबद्धता की योजना को उसके उपरांत परिवर्तित करने की अनुमित नहीं दी जायेगी।"

12. मूल संहिता का खण्ड 7.7 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"यदि प्रणाली में मीटरे प्रबंध सिहत कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो, तो बढ़े हुए भार को वैसी दिनांक से विमुक्त किया जायेगा जिसका उल्लेख पूरक अनुबंध में किया गया है अथवा उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, जो भी पहले हो किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् 15 दिवस के भीतर मीटरे प्रबंध, यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित कर दिये जायेंगे और अतिरिक्त प्रदाय विमुक्त किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता है तो खण्ड 7.8 मे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।"

13. मूल संहिता का खण्ड 7.11 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

"भार/संविदा मांग कम करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही की जायेगी:—

क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन में उल्लिखित आधारों का परीक्षण किया जायेगा, उनका सत्यापन किया जायेगा और अपना निर्णय आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर सूचित कर दिया जायेगा। कोई उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 42 (5) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। कोई उपभोक्ता जो धारा 42(5) के अधीन उसकी शिकायत के निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायतों के निवारण हेतु अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन नियुक्त अथवा आयोग द्वारा पदांकित विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकेगा, जिसका निर्णय किसी विधि के अंतर्गत उपलबध उपचार के अध्याधीन अंतिम होगा।

परंतु उच्चदाब और अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए, जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना निर्णय आवेदन प्राप्ति की दिनांक से तीस दिवस के भीतर आवेदन पर कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है वहां स्वीकृति दी गयी मान ली जायेगी।

ख) निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भार मे कमी की स्वीकृति के लिए संसूचित निर्णय की प्राप्ति के पश्चात् वह अपने भार को कम कर देगा और किसी अधिकृत लाईसेंसी विद्युत ठेकेदार की ओर से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इसके पश्चात् नगरीय क्षेत्र के प्रकरण में 02 दिवस के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण में 05 दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण की व्यवस्था करेगा तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नदाब उपभोक्ता के साथ एक पूरक अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। भार में कमी उस माह के बाद वाले बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी जिसमें पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया है।

ग) उच्चदाब और अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में बिलिंग उस बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी, जिसमें आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस पूरे हो जाते है। ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता संविदा मांग में कमी का विकल्प किसी बाद की दिनांक से चुनता है जो आवेदन की दिनांक से 30 दिवस से अधिक है, तो बिलिंग उस बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

आवेदक और अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी के पूरक अनुबंध का अनुपालन स्वीकृति की दिनांक से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेंगे। यदि आवेदक निश्चित अविध के भीतर पूरक अनुबंध के निष्पादन में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी के लिए स्वीकृति को निरस्त कर सकेगा।"

- 14. मूल संहिता के खण्ड 7.15 के उपखण्ड (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
 - ''(vi) उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन के लिए नवीन अनुबंध परियुक्त बिंदुओं को सिम्मिलित करते हुए, निष्पादित करना होगा।''
- 15. मूल संहिता के खण्ड 7.16 के ऊपर शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाये:—
 "उच्चदाब संयोजन (11 के.व्ही./33 के.वहीं.) से निम्नदाब संयोजन में परिवर्तन"

- 16. मूल संहिता के खण्ड **7.16** के उपखण्ड (vii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
 - ''(vii) उपर्युक्त बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता द्वारा नवीन निम्नदाब अनुबंध किया जायेगा।''
- 17. मूल संहिता के खण्ड **7.31** के ऊपर शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"7.31 प्रारंभिक अनुबंध की 02 वर्ष की अविध के दौरान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प एक बार दिया जा सकेगा उपभोक्ता को ऐसे विकल्प की अनुमित उस माह में जिसमे ऐसा अनुरोध किया गया हो के बाद बिलिंग माह के प्रथम दिवस से अथवा किसी अन्य बाद के माह से दी जा सकेगी, जैसी कि अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षण / सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाय। बिलिंग में टैरिफ श्रेणी के परिवर्तन को वास्तविक रूप से प्रभावशील, पूरक अनुबंध को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत और मीटरो की प्रोग्रामिंग में परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) संहिता के खण्ड 7.5 में उल्लिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा।"

18. मूल संहिता के खण्ड 11.39 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:— ''विद्युत की चोरी के प्रकरण में खपत के निर्धारण हेतु पद्धतिः

निर्धारित यूनिट = $L \times D \times H \times F$

जहां L = किलोवाट में भार (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसरो में पाया— गया संयोजित भार)

D = निर्धारण की अवधि दिनों में

H = घंटे

- (i) औद्योगिक और गैर घरेलू भारों को छोड़कर सभी भारों के लिए H = 24
- (ii) औद्योगिक और गैर घरेलू भारो के लिए

संबंधित उद्योग गैर घरेलू भार के सामान्य कामकाज के आधार पर H का निर्धारण अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा, किन्तु यह 8 घंटो से कम नहीं होगा.

F = भार कारक जिसे विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए निम्नानुसार लिया जायेगा:—

स.क्रं.	विशिष्टियां	भार कारक
1.	उच्चदाब उद्योग	100%
2.	उच्चदाब संयोजन, उद्योगो के अलावा (आवासीय,सामान्य उद्देश्य,जलकार्य)	75%
3.	निम्नदाब उद्योग	75%
4.	निम्नदाब गैर घरेलू और कृषि संबंधी	50%
5.	निम्नदाब घरेलू	40%
6.	निम्नदाब कृषि	50%
7.	निम्नदाब जल प्रदाय	50%
8.	सड़क बत्ती	50% "

19. मूल संहिता के खण्ड 12.1, 12.2,12.3 और 12.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"उपभोक्ता के प्रतिस्टापन में विद्युत संयंत्र"

- 12.1 यदि किसी विद्युत संयंत्र से विद्युत का प्रदाय स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से आशयित है तो ऐसे विद्युत संयंत्र का संचालनकर्ता उसे अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर तभी चला सकेगा जब अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमित प्राप्त कर ले।
- 12.2 जहां ऐसे विद्युत संयंत्र को ऐसे कोई सहमित नहीं दी गई है वहां वह विद्युत संयंत्र अपने उत्पादन इकाईयों के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करेगा जिसमें उसका विस्तार और वृद्धि सम्मिलित है, जिसे आइसोलेटेड मोड में संचालित कर सके और ऐसा विद्युत संयंत्र किसी भी दशा में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं संयोजित किया जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी सूचना देकर ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और यह

सुनिश्चित करने के लिए की किसी भी समय विद्युत संयंत्र उसकी अपनी प्रणाली से संयोजित नहीं हो रहा है, प्रबंध का निरीक्षण कर सकेगा। यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाये कि विद्युत संयंत्र अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर संचालित हो रहा है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी विद्युत को अपनी प्रणाली से विसंयोजित कर लेगा।

- 12.3 ऐसे प्रकरण में जहां भार प्रतिष्ठापन का प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली तक किसी विद्युत संयंत्र से अथवा किसी अन्य श्रोत से, बिना अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन से विस्तारित हो जाता है और उससे अनुज्ञप्तिधारी के उपस्कर अथवा मानव जीवन को क्षिति पहुंचती है, तो ऐसा विद्युत संयंत्र उसके लिए जिम्मेदार होगा और प्रदाय के विसंयोजन के साथ—साथ, अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य प्रभावित व्यक्ति को कारित समस्त हानियों की विहित रूप से क्षितिपूर्ति करेगा।
- 12.4 जहां ग्रीड से संयोजकता हेतु सहमित दी जा चुकी है वहां विद्युत संयंत्र द्वारा अपने प्रतिष्ठापन में समुचित बचाव प्रणाली लगाने की व्यवस्था की जायेगी और इसकी समुचित कार्यशीलता को सुनिश्चित किया जायेगा। विद्युत संयंत्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से त्रुटिपूर्ण ढंग से संयोजित न हो जाय। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत संयंत्र और / अथवा इसके भार प्रतिष्ठापन, मशीनरी और उपस्कर को ऐसी संयोजकता के कारण हुई किसी क्षति, अथवा इससे निष्पन्न किन्हीं विपरित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"
- 20. ''मूल संहिता के खण्ड 13.20 मे उल्लिखित ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005'' को ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2007'' से प्रतिस्थापित किया जाता है'':—

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन. सिंह) सचिव "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुत्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छन्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 🗋

रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014—पौष 11, शक 1935

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission

Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur (C.G.) – 492001

Raipur, Dated 1st January, 2014

No. 54/CSERC/2013 - The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has framed U/s 50 and Section 181(2)(t) read with 181(2)(x) and the provisions of Section 43(1), 46, 47(1) and 47(4) read with Section 181(1), 181(2)(v) and 181(2)(w) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) the "Chhattisgarh State Electricity Supply Code-2011". On the basis of difficulties experienced in implementation of supply code, submission made by stakeholders and the recommendations of review committee constituted under clause 1.6 of the Supply Code, certain amendments have become necessary.

The CSERC, in exercise of the powers vested in it under Clause 1.10 of the Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011 and after considering the recommendations of the Supply Code Review Committee, constituted under clause 1.6 of the same Code, and suggestions/comments of the various stake holders makes the following amendments to this Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011.

1. Short title, Definition and commencement:

- (i) This Code shall be called the "Chhattisgarh State Electricity Supply Code (First Amendment) 2013".
- (ii) This shall come into force from 1st January 2014.

(iii) All other words and expressions used in this Code, but not defined, shall have the same meaning as is in the **Chhattisgarh State Electricity Supply Code**, **2011** (herein after referred to as the principal code).

2. Clause 3.4 of Principal Code is substituted by "Voltage of Supply to Consumers

3.4 The supply voltage-wise minimum and maximum contract demands shall normally be as follows -

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
230 volts	-	3 KW
400 volts	Above 3 KW	100 HP or 75 KW
11 KV	60 KVA	500 KVA
33 KV	60 KVA	15000 KVA
132 KV	4000 KVA	40000 KVA
220 KV	15000 KVA	150000 KVA

Provided that due to technical reasons the Commission may relax above provision on request of licensee. The HT and EHT consumers having contract demand exceeding the maximum limit as prescribed above, shall be levied additional charges as specified by the Commission in relevant tariff order."

3. The clause 4.41 of Principal Code is substituted by following;

On receipt of an application form for supply of electricity at HT/EHTthe licensee shall inform the consumer in writing the date of inspection of the site to examine the feasibility of the supply applied for within 5 working days. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. In case supply at EHT / connectivity at EHV sub-station is required, the applicant shall have to submit a copy of application to transmission company simultaneously for connectivity. The distribution licensee and the Transmission Licensee shall carry out joint inspection. They shall check the feasibility of supply, fix the take off point, point of entry of the supplier's line, the position of meter, metering equipment and other equipments of the supplier. The transmission licensee shall intimate the feasibility of connectivity or otherwise within 30 working days of receipt of the application forms and issue demand note for estimate of charges after sanctioning the estimate within 60 days after issue of feasibility report and will send it to the distribution licensee. The Distribution Company shall carry out load sanction, and issue demand note for payment of security deposit and execution of agreement along with the demand note received from the transmission licensee for making payment to the respective licensees by consumer. However the time schedule as prescribed for various activities in clause 4.58 will be adhere to by the respective liceness,

4. The clause 4.51 of Principal Code is substituted by following;

"Assessment of light and fan load for LT connections:

(A) For assessment of load of a building / group of buildings or multiconsumer complex, the following norms shall be adopted:

(i) Residential Use

(a) For every 250 sq. ft. built up area or part thereof for

(i) Municipal Corporation (Nagar Nigam) 1 KW

(ii) Municipal Committee (Nagar Palika) 0.75KW

(b) For every 400 sq. ft. built up area or part thereof for

(i) Nagar panchayat / Grampanchayat 0.5 KW

(ii) Non-Residential Use

(a) For every 200 sq. ft. built up area or part thereof for

(i) Municipal Corporation (Nagar Nigam) 1 KW

(ii) Municipal Committee (Nagar Palika) 0.75 KW

(iii) Nagar panchayat / Grampanchayat 0.50 KW

(b) 1000 sq.ft. built up area or part thereof for shed / 1 KW

Godown/School/Dharmshala/Warehouse

(B) For assessment of load of a housing colony and non- residential plots in the housing colony the following norms shall be adopted:

(i) For residential colonies

(a) For every 300 sq. ft. plot area or part thereof for

(i) Municipal Corporation (Nagar Nigam)(ii) Municipal Committee (Nagar Palika)0.75 K

(b) For every 500 sq. ft. plot area or part thereof

(i) Nagar panchayat / Grampanchayat 0.50 KW

(ii) For non-residential plots

For every 200 sq. ft. plot area or part thereof

(i)	Municipal Corporation (Nagar Nigam)	1 KW
(ii)	Municipal Committee (Nagar Palika)	0.75 KW
(iii)	Nagar panchayat / Grampanchayat	0.50 KW

Note:

(i) The aforesaid norm for assessment of load shall not be applicable where consumer applies for demand base tariff connection.

- (ii) Load assessment shall be done as per the plan approved by the competent authority for housing colony/multi consumer complex.
- (iii) The load of the common facilities like lift, water pump, street lights etc. shall be considered as declared by the developer/builder/ society/consumer.
- (iv) The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of bringing about uniformity in the assessment of the load and for providing infrastructure. However, security deposit etc. shall be worked out on the basis of the actual load as requested by the consumer and individual consumer(s)/multi consumer complex and housing colony(s).
- (v) For the purpose of computation of load, the built up area of individual consumers in the case of residential multi-consumer complexes shall be taken whereas in the case of non-residential multi-consumer complexes the entire built up area of the complex shall be considered. However, the applicant may apply for more than computed load based on his actual need and in such cases the infrastructure is to be developed for the load requisitioned."

5. The clause 4.52 of Principal Code is substituted by following

"Supply to Multi-Consumer Complex and Housing colonies-Special conditions:

- (i) A building or a group of buildings which normally require(s) one or more than one LT connection and for a total load of 50 KW or above, assessed as per clause 4.51 of this Code, shall be treated as multiconsumer complex for the purpose of electric supply. A multi-consumer complex shall include residential, non-residential and commercial complexes, housing colony, office complexes, educational and training institutions etc.
- (ii) Supply to a multi-consumer complex shall be arranged through a separate distribution transformer of adequate capacity but not less than 100 KVA on a space provided by the applicant. In case of higher capacity, the distribution transformer capacity should be 200 KVA or 315 KVA which is generally used by distribution licensee.
- (iii) The external electrification such as extension of 11 KV line, distribution transformer sub-station and laying LT lines/cables within the colony shall be done by developer/ builder/housing society/group of consumers/ consumer, who applies for the connection at it's own cost.
- (iv) If the applicant wants to construct indoor transformer sub-station then applicant may do so provided that transformer shall be of dry type apart from being energy efficient and all safety measures as per prevailing rules and regulations should be taken up and followed as required. In such case, cable required for connecting overhead line of the licensee to HV terminal of indoor transformer shall be provided by applicant.

If an applicant wants to lay 11 KV and/or LT line through underground cable within the colony beyond the sub-station or distribution transformer, it shall be permitted to do so subject to the condition that the relevant Indian Standards are followed. Any capacity of distribution transformer installed by the applicant should be of 100 KVA or 200 KVA or 315 KVA which is generally used by distribution licensee and its entire cost shall be born by applicant.

- (v) If the load of the colony / multi consumer complex;
 - (a) is below 1500 KW, the applicant shall pay system strengthening charges as per miscellaneous and general charges approved by the Commission. Till such charges are approved by the Commission, the licensee shall recover system strengthening charges @ Rs. 4500/- per KW. Cost of extension of 11 KV Line up to 2 km outside the colony area shall be born by licensee and beyond 2 km shall be born by the applicant.
 - (b) exceeds 1500 KW but not more than 5550 KW assessed as per clause 4.51, the applicant shall provide necessary land measuring not less than 40 x 30 meters and for load above 5550 KW up to 10000 KW land measuring not less than 50 x 40 meters at token premium of Rs.1/-, for construction of 33/11 KV substation by the licensee at it's own cost. The location of the sub-station shall be decided by the Engineer in-charge of the area in consultation with the applicant. The applicant shall pay system strengthening charges as per miscellaneous and general charges approved by the Commission Till such charges are approved by the Commission, the licensee shall recover system strengthening charges @ Rs. 4500/- per KW. The Cost of extension of 33 KV line up to 3 km for load up to 5550 KW and 5 km for load above 5550 KW up to 10000 KW shall be borne by licensee and beyond above limit shall be borne by applicant.
- (vi) If a building/group of buildings come(s) under the category of multiconsumer complex or housing colony due to additional construction or additional requirement of load and the total load of such multi consumer complex/housing colonies including all phases (existing and proposed);
 - (a) is below 1500 KW the cost of extension, additional distribution transformer/augmentation of existing distribution transformer shall be born by the applicant(s). In addition, applicant shall pay system strengthening charges as per miscellaneous and general charges approved by the Commission. Till such charges are approved by the Commission, the licensee shall recover system strengthening charges @ Rs. 4500/- per KW for additional load.

- (b) exceeds 1500 KW but not more than 5550 KW assessed as per clause 4.51, the applicant shall provide necessary land measuring not less than 40 x 30 meters and for load above 5550 KW up to 10000 KW land measuring not less than 50 x 40 meters at token premium of Rs.1/-, for construction of 33/11 KV substation by the licensee at it's own cost. The location of the sub-station shall be selected by the Engineer in-charge of the area in consultation with the applicant. The applicant shall pay system strengthening charges as per miscellaneous and general charges approved by the Commission Till such charges are approved by the Commission, the licensee shall recover system strengthening charges @ Rs.4500/- per KW for additional load. The Cost of extension of 33 KV line up to 3 km for load up to 5550 KW and 5 km for load above 5550 KW up to 10000 KW shall be borne by licensee and beyond above limit shall be borne by applicant. Inside the colony area cost of extension of line/distribution transformer/augmentation of distribution transformer shall be born by the applicant(s).
- (vii) If assessed load is more than 10000 KW as per clause 4.51 for a Multi-Consumer Complex and Housing colonies, modalities for supplying electricity to such complex/colony shall be decided by Commission on case to case basis on request of licensee."

6. The clause 4.56 of Principal Code is substituted by following

"Supply to small/cottage industry up to 25 HP except stone crusher—special provisions for urban and rural area:

The licensee shall provide connection to small/cottage industries up to 25 HP load on payment of supply affording charges as approved by the Commission in the miscellaneous and general charges. Till these charges are approved by the Commission, the licensee shall recover supply affording charges @ Rs. 2000/- per HP. This supply affording charges shall be payable by the small/cottage industry consumer up to 25 HP load on per HP basis even if any extension is required or not. The Licensee shall provide distribution transformer, if required. The licensee shall, also provide 11 KV line/LT line 0.5 km in urban area and 1 km in rural area. The cost of the line more than 0.5 km in urban area and 1 km in rural area shall be recovered from applicant(s)."

7. The clause 6.5 of Principal Code is substituted by following

"The security deposit shall be determined on the basis of assessed consumption as per clause 6.4 of this Code and shall be an amount equivalent to the estimated consumption of specific number of days, applying the prevailing tariff and other charges, as indicated in the following table:

S.No. Nature of Consumer

No. of Days

1. Agricultural

i) permanent

90

ii) temporary For the entire period of

temporary connection, subject

to maximum of 90 days

2. Stone crusher, hot-mix plants 90

3. Consumers unable to provide 90 proof of legal occupation of

premises

4. Other consumers 60 ."

8. The clause 6.9 of Principal Code is substituted by following;

"An amount of the security deposit taken from any consumer shall be reviewed by the licensee, on the basis of his annual consumption during the previous 12 months, in the month of October every year. Based on this review, the licensee shall fix the amount of security deposit equivalent to the average consumption, as per the applicable tariff for the period mentioned in clause 6.5 of this Code. If the amount of security deposit held by the licensee varies (increase or decrease) on review by more than ±20% in case of LT and more than Rs.10000/- in case of HT/EHT consumer than only necessary demand or refund will be done by the licensee."

9. The provision of clause 6.10 of Principal Code is substituted by following

"Provided that in case of refund of excess security deposit, the same shall be credited by the licensee to the account of the consumer by way of adjustment, in the electricity bills of the consumer in next three month. If still there remain any balance after such adjustment, the same shall be refunded to the consumer within 30 days in cash. Thereafter, licensee is liable to pay interest as defined in clause 6.20 of the supply code, 2011."

10. The clause 6.11 of Principal Code is substituted by following

"6.11 In the case of consumers who have been sanctioned additional load, the additional security deposit shall be calculated for the additional load as if it is a new connection. Similarly, if the contract demand is reduced, the licensee may recalculate the security and give credit of excess security deposit, if any, by way of adjustments in next three months electricity bills of the consumer. If there remains any balance after such adjustment, the same shall be refunded to the consumer within 30 days in cash. Thereafter, licensee is liable to pay interest as defined in clause 6.20 of supply code, 2011."

11. The clause 7.2 of Principal Code is substituted by following;

"7.2 The Contract Demand shall be as per the agreement entered into between the consumer and the licensee and having regard to the requirement of the consumer's installation and will be independent of connected load.

An applicant for new HT / EHT connection from licensee may opt to avail the required contract demand in phases also, subject to following conditions:-

- (i) No phasing is permitted beyond the period of two years.
- (ii) The agreement period will be two years after the release of last phase of load.
- (iii) Maximum of three phases of contract demand can be availed by the consumer.
- (iv) The scheme of phasing once agreed between licensee and consumer under the executed Supply agreement will not be permitted to change thereafter."

12. The clause 7.7 of Principal Code is substituted by following;

"If no addition or alteration to the system including change in metering arrangement is required; the enhanced load will be released from a date as stated in supplementary agreement or after completion of the requisite formalities by the consumer whichever is later. The metering arrangement be changed within 15 days of completion of requisite formalities by the consumer, if required and additional supply be released. If the system needs any alteration or addition, the procedure mentioned in clause 7.8 shall be follows."

13. The clause 7.11 of principal Code is substituted by following:

"On receipt of the application form for reduction of load/contract demand, the licensee shall take the following steps:

(a) The licensee shall examine the grounds stated in the application, verify the same and convey its decision within 30 days of receipt of the application. Any consumer, who is not satisfied with the decision of the licensee may make a representation for redressal of his grievances before Electrical Grievances Redressal Forum established by the licensee under section 42 (5) of the Act. Any consumer, who is aggrieved by non-redressal of his grievances under section 42(5), may make a representation for redressal of his grievances to Electricity Ombudsman appointed or designated by the Commission under section 42(6) of the Act whose decision shall be final subject to such remedy as may be available under any statute.

Provided that for HT and EHT consumers, where licensee has not communicated its decision in the application within 30 days from the date of receipt of application, sanction shall be deemed to have been granted.

(b) In case of LT connection, after receiving the decision conveyed by the licensee for sanction of reduction in load, he shall reduce its load and shall inform to licensee by submitting test report from an authorized licensed electrical contractor. Subsequently, the licensee shall arrange for inspection within 2 days in case of urban and 5 days in case of a rural area. Thereafter, the licensee shall execute a supplementary

agreement with the LT consumer. The reduction of load shall be made effective from the first day of the following billing month in which supplementary agreement is executed.

(c) In case of HT and EHT connection, billing shall commence from the first day of the billing month following completion of 30 days of receipt of application.

In case a consumer opts for reduction in contract demand at later date, which is exceeding 30 days from the date of application, the billing shall commence from the first day of the billing month for which the sanction has been accorded.

The applicant and licensee will ensure execution of supplementary agreement for reduction in contract demand within one month from the date of sanction. If the applicant fails to execute supplementary agreement within the stipulated period, the licensee may cancel the sanction for reduction of contract demand.

14. Sub-clause (vi) of Clause 7.15 of Principal Code is substituted by following;

- "(vi) The consumer has to execute new agreement for HT connection incorporating above points."
- 15. Head line above clause 7.16 of Principal Code should be read as; "Conversion from HT connection (11KV/33KV) to LT connection".
- 16. Sub-clause (vii) of Clause 7.16 of Principal Code is substituted by following;
 - "(vii) Consumer shall enter new LT agreement incorporating aforesaid points."

17. The clause 7.31 of Principal Code is substituted by following;

"7.31 The consumer can opt for change in tariff category once during initial agreement period of two years such option can be permitted to consumer from first day of the billing month following the month in which request has been made or any other later month as requested by consumer subject to inspection / verification by licensee. The actual effect of change of tariff category in billing shall be given after finalization of supplementary agreement and change in programming of meters (if necessary) subject to the condition as mentioned in clause 7.5 of this Code."

18. The clause 11.39 of Principal Code is substituted by following

"The methodology for assessment of consumption in case of theft of energy:

Unit assessed = $L \times D \times H \times F$

Where

L = Load in KW (connected load found in the consumer's premises during the course of inspection)

D = Period of assessment in days:

H = Hours

i. for all load except industrial and non-domestic loads

H = 24

ii. For industrial and non-domestic loads`

H shall be as decided by authorised officer based on its normal functioning of the concerned industry/non-domestic load but shall not be less than 8 hours.

F = Load factor, which shall be taken for different categories of use as given below:-

S. No.	Particular	Load factor
1.	HT industries	100%
2.	HT connection other than industries (Residential, General purpose, water work)	75%
3.	LT Industry	75%
4.	LT Non domestic and Agriculture allied	50%
5.	LT Domestic	40%
6.	LT Agriculture	50%
7.	LT Water supply	50%
8.	Street light	50% "

19. The clause 12.1, 12.2, 12.3 and 12.4 of Principal Code is substituted by following

"Power Plant in consumer's installation

- 12.1 If power from a power plant is intended to be supplied to the load through own network, then to operate such power plant in parallel with the licensee's system is permissible only with the written consent of the licensee.
- 12.2 Where no such consent has been given to the power plant, the power plant shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode and the power plant in no case, should get connected to the licensee's system. The licensee, upon intimation can enter the premises and inspect the arrangement to ensure that at no time the power plant gets connected to its system. If on inspection it is found that power plant is operating in parallel to licensees system then licensee shall disconnect such power from its system.
- 12.3 In case the supply to load installation gets extended to the licensee's system from a power plant or from any other source, without appropriate approval from the licensee, causing damage to the

licensee's apparatus or to human life, the power plant shall be liable for the same and shall duly compensate the licensee for all losses caused to the licensee and to other affected person apart from the disconnection of supply.

- 12.4 Where consent has been given for connectivity with grid, the power plant shall arrange to install appropriate protective system in his installation and ensure its proper functioning. The power plant should also ensure that his supply does not get incorrectly connected to the licensee's system. The licensee shall not be liable for any damage caused to the power plant and/or its load installation, machinery and apparatus on account of such connectivity, or any adverse consequence arising thereof."
- 20. "Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2007" mentioned at clause 13.20 of Principal Code is substituted by "Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2005."

By order of the Commission

(P. N. Singh) Secretary